

निविदा—प्रपत्र क्रमांक.....मूल्य—590/- (जी0एस0टी0सहित)

उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फैडरेशन लि0, हल्द्वानी (नैनीताल)

Offline Tender Notice No.15(1-6)/UCDF/2024-25, Date 05.10.2024

सहकारी डेरी प्रशिक्षण संस्थान, उत्तराखण्ड,

लालकुआँ में भोजन व्यवस्था

भोजन—व्यवस्था / मैस कार्य हेतु निविदा—प्रपत्र  
वित्तीय वर्ष 2024—25



प्रबन्ध निदेशक,  
उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फैडरेशन लि0,  
मंगल पड़ाव, हल्द्वानी (नैनीताल)  
फोन नं0—05946—255867  
ucdfilt@gmail.com

**UTTRAKHAND CO-OPERATIVE DAIRY FEDERATION LTD,  
MANGAL PARAO, HALDWANI (NAINITAL)-263139**

**Offline Tender Notice No.15(1-6)/UCDF/2024-25, Date 05.10.2024**



**Following Tenders are invited by UCDF Ltd., Mangal Parao, Haldwani (Naianital):-**

<b>Item No.</b>	<b>Name of Work</b>	<b>Details</b> (Authorized Firms for the following item so as to reach this office)	<b>EMD (Rs. )</b>	<b>Tender Document Fee (Rs. )</b>	<b>Rate Validity period</b>
<b>1-</b>	Rate Contract for Food & Canteen Services in Co-operative Dairy Training Institute, Lalkuan (Nainital)	on or before 21.10.2024 up to 05.00 PM. The tenders will be opened on 22.10.2024 at 11.00 AM.	25,000.00	590.00	01 Year

All offline tenders related details can be seen of UCDF website- [www.ucdfaanchal.org](http://www.ucdfaanchal.org)

**Managing Director**

**UTTARAKHAND CO-OPERATIVE DAIRY FEDERATION Ltd.,**  
**Mangal Parao, Haldwani (Nainital)**

**Bank Details for Online submission of Tender Fees & EMD**

**through RTGS/NEFT:-**

<b>Name of account holder</b>	<b>Uttaranchal Co-operative Dairy Federation Ltd.</b>
<b>Name of Bank</b>	<b>Axis Bank</b>
<b>Branch</b>	<b>Talli Haldwani (UT)</b>
<b>Account Number</b>	<b>584010100013749</b>
<b>Type</b>	<b>Saving bank</b>
<b>IFSC code</b>	<b>UTIB0000584</b>

## सहकारी डेरी प्रशिक्षण संस्थान, लालकुआँ (नैनीताल) में चाय, नाश्ता तथा दिन एवं रात्रि के भोजन व्यवस्था हेतु शर्तेः—

- प्रत्येक निविदादाता को निविदा—प्रपत्र में आवेदन करना है जो रु0 590.00 (जी0एस0टी0 सहित) नकद जमा कर कार्यालय उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फैडरेशन लि0, मंगल पड़ाव, हल्द्वानी में लेखा अनुभाग अथवा प्रशासन अनुभाग से प्राप्त किया जा सकेगा अथवा यू0सी0डी0एफ0लि0, हल्द्वानी के बेवसाईट—[www.ucdfaanchal.org](http://www.ucdfaanchal.org) से भी डाउनलोड किया जा सकता है, जिसके लिए निविदा—प्रपत्र का शुल्क कार्यालय उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फैडरेशन लि0, मंगल पड़ाव, हल्द्वानी में लेखा अनुभाग में नकद जमा किया जायेगा अथवा बैंक विवरण के अनुसार आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से भी यू0सी0डी0एफ0 के बैंक खाते में जमा किया जा सकता है।
- प्रत्येक निविदादाता को मु0 रु0 20,000.00 (रु0 बीस हजार) मात्र निविदा के जमानत के रूप में प्रबन्ध निदेशक, यू0सी0डी0एफ0लि0, मंगल पड़ाव, हल्द्वानी के नाम मंगल पड़ाव में देय भुगतान का बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से भुगतान की प्रति निविदा के साथ अथवा नगद कैशियर को यू0सी0डी0एफ0लि0, मंगल पड़ाव, हल्द्वानी के कार्यालय में जमा करना होगा एवं टेप्डर फार्म के साथ मूल बैंक ड्राफ्ट अथवा नगद जमा धनराशि की रसीद की फोटो प्रतिलिपि संलग्न करनी अनिवार्य होगी तथा टेप्डर अस्वीकृति की दशा में जमा धनराशि वापस कर दी जायेगी तथा स्वीकृत हुए निविदादाता को जमानत के रूप में रु0 5,000.00 (रु0 पाँच हजार) मात्र और नगद अथवा आर0टी0जी0एस0 द्वारा जमा करना होगा। इस प्रकार कुल रु0 25,000.00 (रु0 पच्चीस हजार) मात्र जमा करना होगा। समस्त भुगतान आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से भी किये जा सकते हैं, जिसके भुगतान प्रति निविदा—प्रपत्र के साथ संलग्न किया जायेगा, यू0सी0डी0एफ0 का बैंक विवरण निविदा—प्रपत्र के साथ संलग्न है।
- स्वीकृत निविदादाता को रु0 25,000.00 (रु0 पच्चीस हजार) मात्र बतौर जमानत जमा करना होगा जो अनुबन्ध समाप्ति के उपरान्त अदेयता प्रमाण पत्र दिए जाने पर स्वीकृत निविदादाता को वापस कर दिया जायेगा। जमा धनराशि पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा। भोजन बनाने हेतु सामान बर्तन आदि की व्यवस्था स्वयं स्वीकृत निविदादाता को करनी होगी। यू0सी0डी0एफ0लि0, मंगलपड़ाव, हल्द्वानी अन्तर्गत सहकारी डेरी प्रशिक्षण संस्थान, लालकुआँ द्वारा केवल किचेन एवं भोजन कक्ष ही उपलब्ध कराया जायेगा।
- अस्वीकृत निविदादाता की टेप्डर जमानत धनराशि एकाउन्ट पे चैक/बैंक ड्राफ्ट/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से सामान्यतया पन्द्रह दिवस में वापस कर दी जायेगी।
- निविदा प्रपत्र में सभी अपेक्षित जानकारी तथा एकमुश्त व अलग—अलग दरें अंकों एवं शब्दों में भरा जाना अनिवार्य होगा। किसी विवरण को पूर्ण रूप से न भरने तथा हस्ताक्षर, नाम एवं पता स्पष्ट न पाये जाने पर अथवा गलत पाये जाने पर निविदा प्रपत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
- स्वीकृत निविदा का अनुबन्ध कार्य प्रारम्भ होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगी परन्तु आवश्यकता पड़ने पर प्रबंध निदेशक, यू0सी0डी0एफ0 द्वारा अनुबन्ध को आवश्यकतानुसार तीन माह तक की अवधि के लिए आगे भी बढ़ाया जा सकेगा। किन्तु, यदि निविदित फर्म का कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है, निर्धारित मानक के अनुसार भोजन व्यवस्था, किचेन की सफाई, भोजन व्यवस्था में कार्य कर रहे स्टाफ का व्यवहार आदि संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो प्रबंध निदेशक द्वारा अनुबन्ध की अवधि के मध्य में भी एकपक्षीय अनुबन्ध समाप्त किया जा सकेगा।
- स्वीकृत निविदादाता प्रशिक्षण केन्द्र में आने वाले प्रशिक्षणार्थियों के लिए दिये गये मीनू के अनुसार भोजन, जलपान आदि की व्यवस्था करेगा, जिसके लिए यू0सी0डी0एफ0लि0, मंगल पड़ाव, हल्द्वानी स्वीकृत निविदादाता को स्वीकृत दर पर प्रति प्रशिक्षणार्थी/प्रतिदिन/प्रति मील के हिसाब से भुगतान करेगा, प्रशिक्षणार्थियों की संख्या का सत्यापन, संस्थान में वार्डन का कार्य सम्पादित कर रहे कार्मिक एवं प्रशिक्षण संस्थान में कार्य कर रहे अन्य कार्मिक, जिन्हें इस हेतु दायित्व निर्धारित किया गया है, के द्वारा किया जायेगा। निविदाताता द्वारा मीनू की दर जी0एस0टी0 सहित अंकित किया जायेगा।
- स्वीकृत निविदादाता पाक्षिक अथवा मासिक रूप से भोजन व्यवस्था का बिल प्रस्तुत करेगा, जिसका सामान्यतया पाक्षिक / मासिक (यथास्थिति) भुगतान किया जायेगा।

9. अधिकृत प्रतिनिधि (संस्थान में वार्डन का कार्य सम्पादित कर रहे कार्मिक एवं प्रशिक्षण संस्थान में कार्य कर रहे अन्य कार्मिक, जिन्हें इस हेतु दायित्व निर्धारित किया गया है) के माध्यम से स्वीकृत निविदादाता को सामान्यतया 06 (छ:) घण्टे पहले प्रशिक्षणार्थियों के आगमन व संख्या की सूचना दी जायेगी जिसके लिए उसको भोजन व्यवस्था करनी होगी।
10. अवकाश अवधियों या अन्य किसी अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम यदि स्थगित किया जाता है या कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं होता है तो यू०सी०डी०एफ०लि०/सहकारी डेरी प्रशिक्षण संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। परन्तु कार्यक्रम स्थगित की सूचना से सामान्यतया 06 घण्टे पूर्व अवगत करा दी जायेगी।
11. रसोईघर, डायनिंग हॉल, टेबल-कुर्सी एवं बर्टनों आदि की प्रतिदिन साफ-सफाई अनिवार्य होगी व इसकी स्वीकृत निविदादाता की जिम्मेदारी होगी। साथ ही, संस्था का रेफिजरेटर/डीप फ्रिज, ईमरसन रॉड, बर्टन आदि के उपयोग करने पर उसकी मैन्टेनेन्स की व्यवस्था निविदादाता की होगी। टूट फूट/मरम्मत आदि का व्यय निविदादाता को वहन करना पड़ेगा।
12. उपवास/ब्रत वाले प्रशिक्षणार्थियों के लिए पृथक् से भोजन व्यवस्था करनी होगी। उपवास के भोजन में दूध एवं फल की व्यवस्था (मीनू के अनुसार) भी स्वीकृत निविदादाता को करनी पड़ेगी।
13. यदि अन्य किसी भी कारण से स्वीकृत निविदादाता स्वयं द्वारा एकपक्षीय यह ठेका छोड़कर चला जाता है तो जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी। यदि किसी कारणवश प्रशिक्षणार्थियों को समय पर भोजन उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो यू०सी०डी०एफ०लि०, मंगल पडाव, हल्द्वानी को अधिकार होगा कि वह ऐवज में वैकल्पिक व्यवस्था करवा लें तथा जो भी अतिरिक्त व्यय भार आता है उसकी वसूली स्वीकृत निविदादाता के बिलों/देयकों एवं जमानत राशि से कर लें।
14. भोज्य सामग्री की गुणवत्ता उच्चकोटि की होनी चाहिए, धी/तेल सरसों/रिफाइन्ड केवल एगमार्क का ही प्रयुक्त करना होगा एवं मसाले भी एगमार्क ही प्रयोग करने होंगे तथा चक्की का आटा, पतले चावल/शरबती आदि ही प्रयुक्त किया जायेगा। पापड, अचार, एगमार्क ही प्रयुक्त किया जायेगा। दूध एवं दुग्ध पदार्थ औंचल ब्राण्ड के ही प्रयोग करने होंगे। गैर अधिकारी वर्ग के मीनू में शरबती चावल (उच्चकोटि) का होना आवश्यक है तथा अधिकारी वर्ग के मीनू में बासमती चावल उच्चकोटि का, जिसका बाजार दर मु०रु० 100.00 प्रति किलोग्राम से कम ना हो, का प्रयोग किया जाना अनिवार्य होगा।
15. निविदित फर्म का यह दायित्व होगा कि प्रशिक्षणार्थियों को भोजन आदि परोसने/सर्व करने एवं उसकी देख-रेख हेतु मानव संसाधन की उचित व्यवस्था रखनी होगी, अन्यथा कि स्थिति में समय पूर्व निविदा समाप्त की जा सकती है तथा ऐसी स्थिति में जमानत राशि को वापस नहीं किया जायेगा।
16. भोजन की स्वच्छता, पाचकता, पौष्टिकता का समय—समय पर यू०सी०डी०एफ० द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों /भोजन व्यवस्था कमेटी के सदस्यों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया जायेगा और यदि व्यवस्था, स्वच्छता या भोजन की गुणवत्ता सन्तोषजनक नहीं पायी जाती है तो अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जायेगा तथा निविदा की कार्यवाही में वरीयता के आधार पर दूसरे वरीयता की फर्म/निविदाकर्ता को अनुबन्ध हेतु स्वीकृत किया जा सकेगा।
17. निविदादाता का एफ.एस.एस.ए.आई. अन्तर्गत पंजीकरण अनिवार्य है।
18. निविदादाता अथवा उनके कर्मचारियों के साथ प्रशिक्षण संस्थान परिसर में कोई दुर्घटना होती है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
19. निविदादाता द्वारा लगाए गए कर्मचारी यदि चोरी करते हुए पकड़ा जाता है या संस्थान को किसी प्रकार से हानि पहुँचाता है तो उस पर जुर्माना (पैनाल्टी) लगाने का अधिकार यू०सी०डी०एफ० के पास होगा। जुर्माना की वसूली निविदादाता के बिल से क्षति की दोगुनी धनराशि की जाएगी।
20. निविदादाता के कर्मचारियों द्वारा सम्बन्धित अधिकृत प्रभारी के निर्देशों का पालन न करने अथवा संस्था के हितों के विरुद्ध कार्य करने अथवा मादक पदार्थों का सेवन किए हुए पाए जाने की दशा में उस कर्मचारी को निविदादाता द्वारा यू०सी०डी०एफ० की सूचना पर तत्काल कार्य से पृथक् करना होगा।
21. निविदादाता द्वारा रखे गए कर्मचारी शारीरिक रूप से स्वस्थ हो तथा भोजन व्यवस्था के कार्यों के लिए सक्षम हो।

- 22.** निविदादाता को अपने कर्मचारियों का पहचान पत्र अपने स्तर से निर्गत कराना अनिवार्य होगा। जो गेट पर सुरक्षा गार्ड को अवलोकन कराने पर ही परिसर में आने दिया जाएगा तथा अपने कर्मचारियों के आधार कार्ड की छायाप्रतियां प्रशिक्षण संस्थान के कार्यालय में जमा करना होगा। कर्मचारी बदले जाने पर इसकी पूर्व सूचना प्रशिक्षण संस्थान के कार्यालय को देना होगा।
- 23.** प्रशिक्षणार्थियों की दैनिक भोजन आदि की व्यवस्था का मीनू संलग्न है, उसी मीनू के अनुरूप व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। केवल विशेष परिस्थितियों में मीनू में परिवर्तन की स्थिति में कारण सहित लिखित प्रार्थना पत्र प्रभारी अधिकारी (प्रशिक्षण), सहकारी डेरी प्रशिक्षण संस्थान, उत्तराखण्ड, लालकुआँ अथवा अधिकृत सक्षम अधिकारी की अनुमति के पश्चात् ही किया जा सकेगा।
- 24.** स्वीकृत निविदादाता को समय—समय पर निरीक्षण कर स्थिति में सुधार लाने के लिए जो भी निर्देश दिये जायेंगे, उनका अनुपालन करना अनिवार्य होगा। निर्देशों की अवहेलना करने पर आवश्यक कार्यवाही के लिए यू०सी०डी०एफ० स्वतन्त्र होगा।
- 25.** यदि चेतावनी के उपरान्त भी निर्देशों की अवहेलना की जाती है तो यू०सी०डी०एफ० को यह अधिकार होगा कि वह भोजन व्यवस्था का अनुबन्ध / कॉन्ट्रैक्ट बिना किसी पूर्व सूचना या अन्य औपचारिकता के निरस्त कर लें।
- 26.** स्वीकृत निविदादाता को अपने कर्मचारियों के नाम एवं पूरा पता लिखित रूप में देना होगा और यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वह एवं उसके कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान पर मर्यादासम्मत आचरण करेंगे। किसी कर्मचारी को उनके द्वारा मर्यादासम्मत व्यवहार न करने पर प्रभारी अधिकारी (प्रशिक्षण), प्रशिक्षण संस्थान के निर्देशों पर तत्काल हटाना अनिवार्य होगा तथा ऐसा न करने पर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जायेगा।
- 27.** निविदादाता के द्वारा जो भी कार्मिक कार्य में लगाए जाने हैं उनके समस्त वैधानिक देयकों (ई.पी.एफ., ई.एस.आई. आदि हो) के लिए निविदादाता पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहेगा।
- 28.** लन्च के स्थान पर परिस्थितिवश/प्रशिक्षणार्थियों के भ्रमण कार्यक्रम के दौरान साधारण लन्च पैकेट मांग के अनुसार देना होगा।
- 29.** भुगतान हेतु बिल राज्य सरकार के नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित व्यापार कर/सेवाकर पंजीकरण उल्लेख के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 30.** निविदा स्वीकृति उपरान्त अर्ह/स्वीकृत निविदादाता को रु० 100/- के नॉन-ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर संस्था के साथ अनुबन्ध करना होगा।
- 31.** स्वीकृत निविदादाता को अनुबन्ध की तिथि के एक माह के अन्दर स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी के यहाँ अपना पंजीकरण करवाते हुए प्रमाण—पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। जलपान/भोजन सामग्री के सेवन उपरान्त यदि किसी भी प्रशिक्षणार्थी एवं आगन्तुकों को कोई प्रतिकूल शारीरिक लक्षण, किसी भी प्रकार की बीमारी आदि होती है तो उसके लिए चयनित/स्वीकृत निविदादाता की पूर्ण वैधानिक जिम्मेदारी होगी।
- 32.** निविदादाता किसी प्रकार से संस्था (सहकारी डेरी प्रशिक्षण संस्थान, लालकुआँ/यू०सी०डी०एफ०लि०, हल्द्वानी) अथवा संस्था के किसी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध उपभोक्ता फोरम, माननीय न्यायालय अथवा किसी संस्था से विवादित अथवा किसी वैधानिक विवाद में लिप्त नहीं होना चाहिए। स्वीकृत निविदादाता द्वारा इस आशय का घोषणा पत्र रु० 100.00 (एक सौ रु०) के स्टाम्प पेपर में देना होगा। यदि ऐसा पाया जाता है तो तत्काल कार्य से पृथक् कर दिया जायेगा। यदि किसी फर्म द्वारा अथवा फर्म के प्रोपराईटर द्वारा अथवा उसके परिवार द्वारा पूर्व में संस्थान के विरुद्ध इस प्रकार की कोई विवादित कार्यवाही हेतु पत्राचार/प्रयास किया गया हो तो ऐसे फर्मों अथवा प्रोपराईटर को निविदा के तकनीकी बिड पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 33.** यदि पूर्व में किसी निविदादाता की सहकारी डेरी प्रशिक्षण संस्थान, लालकुआँ में भोजन—व्यवस्था का कार्य किया गया है तथा उनका कार्य संतोषजनक नहीं रहा है, विवादित रहा है तो उनकी निविदा प्राप्त होने पर ऐसे फर्म/फर्मों अथवा प्रोपराईटर की तकनीकी बिड को चूनतम आगामी 05 (पाँच) वर्षों तक स्वीकार नहीं किया जा सकेगा, जिसकी अवधि प्रबंध निदेशक द्वारा बढ़ाई भी जा सकती है।

34. किसी भी निविदा को स्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार प्रबन्ध निदेशक, यू०सी०डी०एफ०लि०, मंगल पडाव, हल्द्वानी के पास सुरक्षित रहेगा।
35. निविदा निष्पादन के दौरान/उपरान्त यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो विवाद का अन्तिम निर्णय प्रबन्ध निदेशक, यू०सी०डी०एफ०लि०, हल्द्वानी (नैनीताल) का होगा, जो दोनों पक्षों को मान्य होगा।
36. निविदा उपरान्त स्वीकृत निविदाकर्ता से अनुबन्ध, प्रभारी अधिकारी (प्रशिल), यू०सी०डी०एफ०लि०/सहकारी डेरी प्रशिक्षण संस्थान, लालकुआँ द्वारा अथवा प्रबन्ध निदेशक द्वारा निर्देशानुसार संबंधित अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
37. समस्त निविदायें पंजीकृत डाक, कुरियर अथवा स्वयं कार्यालय में आकर (सील बन्द लिफाफे में) जमा किया जा सकता है।
38. तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड पृथक्-पृथक् दो लिफाफों में सील बन्द किया जायेगा तथा इन दोनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में सील बन्द किया जायेगा। किसी भी दशा में एक से अधिक लिफाफा (वित्तीय एवं तकनीकी बिड सहित) स्वीकार नहीं होगा। तकनीकी बिड हेतु निर्धारित प्रमाण-पत्रों/अभिलेखों के संलग्न होने पर अर्थात् तकनीकी बिड में सफल होने के उपरान्त ही सम्बन्धित उन निविदादाता/निविदादाताओं का वित्तीय बिड खोला जायेगा।
39. किसी संस्था में भोजन-व्यवस्था में न्यूनतम विगत दो वर्षों का सन्तोषजनक कार्य करने का अनुभव होना आवश्यक है। यदि किसी निविदादाता द्वारा सहकारी डेरी प्रशिक्षण संस्थान, लालकुआँ में विगत 05 वर्षों में किसी भी वर्ष/वर्षों में भोजन-व्यवस्था का कार्य किया गया हो तो कार्य किये गये अवधि का संस्थान से संतोषजनक कार्य किये जाने का प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
40. संबंधित फर्म का विगत न्यूनतम दो वर्षों में औसत वार्षिक टर्न ओवर न्यूनतम रु0 10.00 लाख हो, जिसके लिए ऑडिटेड संतुलन-पत्र/सी०ए० द्वारा प्रमाणित टर्न ओवर की छायाप्रति संलग्न करना होगा। किन्तु, एन०आर०एल०एम० में पंजीकृत स्वयं सहायता समूह द्वारा निविदा भरे जाने की स्थिति में उक्त दो वर्षों में औसत वार्षिक टर्न ओवर की न्यूनतम सीमा रु0 03.00 लाख (रु0 तीन लाख) की होगी। निविदा-प्रपत्र के साथ अद्यतन इनकम टैक्स क्लीयरेंस सर्टिफिकेट्स की प्रति भी संलग्न किया जायेगा।
41. एल०-०१ निविदादाता का निर्धारण मीनू 01 (गैर अधिकारी वर्ग) की दर के अनुरूप किया जायेगा।

**निविदा—प्रपत्र**  
**(तकनीकी बिड)**

**कार्यालय सहकारी उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फैडेरेशन लि0, हल्द्वानी (नैनीताल)**

**Offline Tender Notice No.15(1-6)/UCDF/2024-25, Date 05.10.2024**

1. निविदादाता का नाम — .....
2. फर्म का नाम— .....
3. निविदादाता का पता —  
(अ) स्थाई पता — .....
- (ब) पत्राचार का पता — .....

पासपोर्ट साईज  
की नवीनतम  
स्वप्रमाणित  
रंगीन फोटो  
लगाएं

**तकनीकी बिड में अर्हता हेतु निम्नलिखित स्वप्रमाणित प्रपत्र/अभिलेख संलग्न करने आवश्यक हैः—**

1. जी.एस.टी. पंजीकरण नम्बर (प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें) —
2. एफ.एस.ए.आई. पंजीकरण नम्बर (प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें) —
3. पैन नम्बर (छायाप्रति संलग्न करें) —
4. आधार कार्ड (छायाप्रति संलग्न करें) —
5. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी चरित्र—प्रमाण—पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।
6. विगत दो वर्षों में किसी संस्था में कार्य किया गया हो तो संतोषजनक कार्य का प्रमाण पत्र।
7. यदि निविदादाता द्वारा सहकारी डेरी प्रशिक्षण संस्थान, लालकुआँ में विगत 05 वर्षों में किसी भी वर्ष/वर्षों में भोजन—व्यवस्था का कार्य किया गया हो तो कार्य किये गये अवधि का संस्थान से संतोषजनक कार्य किये जाने का प्रमाण—पत्र।
8. एन0आर0एल0एम0 द्वारा पंजीकृत स्वयं सहायता समूह द्वारा निविदा भरे जाने की स्थिति में पंजीकरण संख्या..... दिनांक..... (प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)
9. निविदा के समक्ष जमा अर्नेस्टमनी का विवरण—(मूल प्रति संलग्न करें, RTGS की स्थिति में प्रति संलग्न करें)  
ड्राफ्ट संख्या/रसीद संख्या :—.....धनराशि —.....दिनांक ..... |
10. संलग्न—मीनू सूची के अनुसार दरें देनी होगी, जो वित्तीय बिड के लिफाफे में रखा जायेगा।
11. फर्म का विगत दो वर्षों(वित्तीय वर्ष 2022–23 व 2023–24) का वार्षिक टर्नओवर(छायाप्रति संलग्न करें) —
12. अद्यतन इनकम टैक्स क्लीयरेंस सर्टिफिकेट की प्रति संलग्न करें—
13. दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के हस्ताक्षर, नाम  
तथा पता जो निविदादाता को भली भाँति  
जानते हों। 1—.....  
.....  
2— .....

**घोषणा**

मैंने निविदा प्रपत्र की समस्त शर्तों को भली—भाँति पढ़ लिया है। तदोपरान्त ही निविदा प्रपत्र भरा गया है।  
दिनांक :— हस्ताक्षर निविदादाता—

स्थान :— नाम—

पिता/पति का नाम—  
फर्म का नाम/मुहर/सील—  
मो०/फोन नं०—

# कार्यालय सहकारी उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फैडेरेशन लि0, हल्द्वानी (नैनीताल)

Offline Tender Notice No.15(1-6)/UCDF/2024-25, Date 05.10.2024

## मीनू सूची अनुसार निविदा दर (वित्तीय बिड)

मैं, सहकारी डेरी प्रशिक्षण संस्थान, लालकुआँ में संलग्न मीनू अनुसार प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की दर से चाय नास्ता तथा दिन एवं रात्रि का भोजन आदि उपलब्ध कराऊंगा / कराऊंगी, जिसका विवरण प्रतिदिन प्रति व्यक्ति निम्नवत् हैं:—

क्र0 सं0	विवरण/समय	प्रति दिन की दर <sup>(जी0एस0टी0/समस्त करों सहित) (मीनू-01) (गैर-अधिकारी वर्ग)</sup>	प्रति दिन की दर <sup>(जी0एस0टी0/समस्त करों सहित) (मीनू-02) (अधिकारी वर्ग)</sup>
1	सुबह की चाय (06 बजे)	रु0.....की दर से	रु0.....की दर से
2	नास्ता—चाय (08.00 पूर्वाह्न बजे)	रु0.....की दर से	रु0.....की दर से
3	11:30 बजे की चाय	रु0.....की दर से	रु0.....की दर से
4	दिन का भोजन (01:30 अपराह्न)	रु0.....की दर से	रु0.....की दर से
5	03:45 बजे की चाय, नास्ता	रु0.....की दर से	रु0.....की दर से
6	रात्रि का भोजन (08:30 बजे)	रु0.....की दर से	रु0.....की दर से
	कुल योग अंकों में:—		
	शब्दों में:—		

(नोट:—उक्त समय (टाईम—टेबल) में आवश्यकतानुसार परिवर्तन हो सकता, जैसा कि संस्थान के प्रभारी अधिकारी अथवा इनके द्वारा अधिकृत कर्मचारी द्वारा निर्धारित किया जायेगा।)

दिनांक :—

स्थान :—

हस्ताक्षर निविदादाता—

नाम—

पिता / पति का नाम—

फर्म का नाम / मुहर / सील—

मो0 / फोन नं0—

**सहकारी डेरी प्रशिक्षण संस्थान, उत्तराखण्ड, लालकुआँ (नैनीताल)**  
**मीनू—01—गैर—अधिकारी वर्ग**

दिवस	प्रातः 06:00 बजे	नाश्ता (प्रति व्यक्ति) 08:00 बजे	11:00 बजे	लंच (01:30 बजे दिन में)	सांय 03:45 बजे	डिनर (08:30 बजे रात्रि)
प्रथम दिवस	चाय	रोटी, सब्जी, अचार, चाय	चाय	मिक्स साबूत दाल, चावल शरबती, रोटी, सूखी सब्जी, दही, सलाद, अचार, आईसक्रीम / समकक्ष	चाय, बिस्किट	चने की दाल, रोटी, मिक्स वेज, चावल शरबती, सलाद, सिवइयां।
द्वितीय दिवस	चाय	सादे पराठे, रसेदार सब्जी, अचार, चाय	चाय	अरहर की दाल, चावल शरबती, रोटी, सब्जी, रायता, सलाद, अचार, योगर्ट / समकक्ष	चाय, समोसा 01 पीस	मिक्स दाल, पनीर की सब्जी (रसेदार), रोटी, पुलाव, गुलाब जामुन (01 पीस)
तृतीय दिवस	चाय	पूरी, काले चने की रसेदार सब्जी, अचार, चाय	चाय	कढ़ी (पकौड़ी वाली), चावल शरबती, रोटी, सब्जी, सलाद, पापड़, सीजनल फल	चाय, पोहा	साबूत मल्का की दाल, रोटी, चावल शरबती, सब्जी रसेदार, रायता, हल्वा
चतुर्थ दिवस	चाय	रोटी, सब्जी, अचार, चाय	चाय	उड्ढद— चने की दाल, रोटी, चावल शरबती, सब्जी (सूखी), सीजनल फल, आईसक्रीम / समकक्ष	चाय, पकौड़ी	मिक्स दाल, चावल शरबती, रोटी, सब्जी, बूंदी के लड्डू (01 पीस)
पंचम दिवस	चाय	आलू के पराठे, अचार, दही 200 ग्राम, चाय	चाय	मिक्स दाल, चावल शरबती, रोटी, सब्जी (सूखी), सलाद, रायता, अचार	चाय, समोसा 01 पीस	छोले, चावल शरबती, रोटी, सब्जी (सूखी), सलाद, खीर
षष्ठी दिवस	चाय	सादे पराठे, रसेदार सब्जी, अचार, चाय,	चाय	राजमा की दाल, चावल शरबती, रोटी, हरी सब्जी (सूखी), रायता, अचार, फ्रूट योगर्ट	चाय, ब्रैड पकौड़ा	मिक्स दाल, पनीर की सब्जी (रसेदार), रोटी, पुलाव, सिवइयां।
सप्तम दिवस	चाय	पूरी, आलू-टमाटर की रसेदार सब्जी, अचार, चाय,	चाय	कढ़ी (पकौड़ी वाली), चावल शरबती, रोटी, सब्जी (सूखी), पापड़।	चाय, बिस्किट	कोफ्ताकरी, रोटी, चावल शरबती, मिक्स दाल, सलाद, रायता, मिठाई एक पीस

- नोट:-** 1. 07 दिन से अधिक प्रशिक्षण होने पर पुनः प्रथम दिवस से मीनू दोहराया जाएगा।  
2. व्रत रखने वाले प्रशिक्षणार्थियों को 06 पीस केला, व 250 मि0ली0 दूध 02 बार देना होगा।

दिनांक :—

स्थान :—

हस्ताक्षर निविदादाता—

नाम—

पिता / पति का नाम—

फर्म का नाम / मुहर / सील—

मो0 / फोन नं0—

**सहकारी डेरी प्रशिक्षण संस्थान, उत्तराखण्ड, लालकुआँ (नैनीताल)**  
**मीनू-02—अधिकारी वर्ग**

दिवस	प्रातः 06:00 बजे	नाश्ता (प्रति व्यक्ति) 08:00 बजे	11:00 बजे	लंच (01:30 बजे दिन में)	सांय 03:45 बजे	डिनर (08:30 बजे रात्रि)
प्रथम दिवस	चाय	आलू के पराठे, अचार, दही, चाय	चाय / कॉफी	दाल मक्खनी, चावल बासमती, रोटी, सूखी सब्जी, रसेदार सब्जी, सलाद, अचार पापड, आईसक्रीम / समकक्ष	चाय + बिस्किट	चने की दाल, रोटी, मशरूम की सब्जी, चावल बासमती, सलाद, मिक्स वैज, गुलाब जामुन (01 पीस)
द्वितीय दिवस	चाय	पोहा (मँगफली वाली), फल एवं चाय	चाय / कॉफी	अरहर की दाल, जीरा राईस बासमती, रोटी, मिक्स वैज, छोले, सलाद, अचार, पापड, फूट योगर्ट	चाय, समोसा 01 पीस	मिक्स दाल, पनीर की सब्जी (रसेदार), रोटी, पुलाव, मिक्स वैज, रसमलाई (01 पीस)
तृतीय दिवस	चाय	पूरी, काले चने की रसेदार सब्जी, अचार, चाय	चाय / कॉफी	कढ़ी (पकोड़ी वाली अथवा राजमा, चावल बासमती, रोटी, सब्जी रसेदार, मिक्स वैज, सलाद, अचार, पापड, आईसक्रीम / समकक्ष	चाय + ब्रेड पकोड़ा	साबुत मल्का की दाल, रोटी, चावल बासमती, सब्जी रसेदार, मिक्स वैज सलाद, छेना सफेद रसगुल्ला (01 पीस)

(नोट:—व्रत रखने वाले प्रशिक्षणार्थियों को 04 पीस केला, 01 सेब व 250 मिलीलीटर दूध 02 बार देना होगा।)

दिनांक :—

स्थान :—

हस्ताक्षर निविदादाता—

नाम—

पिता / पति का नाम—

फर्म का नाम / मुहर / सील—

मो/फोन नं—